661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 661वीं बैठक दिनांक 20/07/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 10027/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Raygaon Sand Quarry in an area of 2.90 ha. (34800 cum per year) (Khasra No. 275 Govt. Land), Village-Raigaon, Tehsil-Ghughari, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	275 (सरकारी नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.9 ha.
स्थल	Village Raygaon, Tehsil Ghughri, District Mandla Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, जिसका लगभग 80 प्रतिशत भाग पानी डूबा होने के कारण 0.87 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.74 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–34,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–34,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 34,800 घनमीटर/वर्ष रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 197 दिनांक 02/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 197 दिनांक 02/02/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 197 दिनांक 02/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रयगांव जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/06/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–34,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 34,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–34,800 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.05.72 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.एस.आर मद से ग्राम रयगावं के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र प्रभारी की सहमति से 40,000 रुपये की राशि के स्वास्थय संबंधी उपकरण उपलब्ध करबाये जायेंगे ।	**40,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	1300
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम–रयगाँव के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1500
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	200
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		योग	3500

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

2. <u>Case No 10028/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Silgi-2 Sand Quarry in an area of 3.80 ha. (68400 cum per year) (Khasra No. 789), Village-Silgi-2, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP) [430141]</u>

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	786 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.8 Ha.
स्थल	Village Silgi-2, Tehsil Mandla, District Mandla, Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बंजर नदी में स्थित है, जिसकी पतली धारा उत्तर दिशा में खदान से होकर जा रही है । भाग पानी डूबा होने के कारण 1.14 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.28 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–68,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–68,400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 68,400 घनमीटर/वर्ष रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 972 दिनांक 06/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 972 दिनांक 06/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 972 दिनांक 06/06/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट स्थित है तथा शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिलगी जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 29/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव	

	अनुमोदित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–68,400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 68,400 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के अतिरिक्त कोर्डिनेटस प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–68,400 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.5.45 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम सिलगी के प्राथमिक शाला में प्राचार्य की सलाह से 60,000 रुपये की राशि से आवश्यकता अनुसार सामान का वितरण किया जायेगा ।	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4560 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	800
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	550
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300

2	ग्राम– सिलगी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2700
3	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	210
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		कुल	4560

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

3. <u>Case No 10029/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Devgaon Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (24000 cum per year) (Khasra No. 01 Govt.), Village-Devgaon, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.
स्थल	Village Devgaon, Tehsil Mandla, District Mandla, Madhya Pradesh	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल	यह खदान बंजर नदी में स्थित है, जो कि आंशिक रूप से जलमग्न है । भाग पानी डूबा होने के कारण 0.60 हे. क्षेत्रफल में गैर ख्नन् क्षेत्र एवं 1.20 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	

इमेज अनुसार स्थिति	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 24,000 घनमीटर/वर्ष रेत का पुनरभराव होगा।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 463 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 463 दिनांक 28/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 463 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत देवगॉव जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 06/10/17 को प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–19 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–24000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 24000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के अतिरिक्त कोर्डिनेटस प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 24000 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.10 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.27 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम देवगॉव के प्राथमिक शाला में 01 कंप्युटर और 01 प्रिंटर का वितरण किया जायेगा ।	40,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	1500
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम– देवगांव के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग (100 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊॅचाई व ट्री गार्ड के साथ)	100
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पॉच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		कुल	2400

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

4. <u>Case No 10030/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Pipri Raiyat Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 259 Govt.), Village-Pipri Raiyat, Tehsil-Bichiya, District-Mandla (MP)</u>

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	259 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	1.0 ha.
स्थल	Village Pipri Raiyat, Tehsil Bichia, District Mandla, Madhya Pradesh	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, खदान के कुछ भाग से नदी बह रही है (आंशिक जलमग्न) भाग पानी डूबा होने के कारण 0.30 हे क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 0.60 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 12,000 घनमीटर/वर्ष रेत का पुनरभराव होगा।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 543 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 02.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 543 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 543 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर स्थित है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपरी रैयत जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 30/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव	

	पारित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–6 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के अतिरिक्त कोर्डिनेटस प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.03.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पिपरी रैयत के प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म (05 वर्ष तक) का वितरण किया जायेगा ।	20,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	550
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	150
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय	100

		प्रजातियां	
2	ग्राम– पिपरी रैयत के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	100
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		योग	1200

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

5. <u>Case No 10031/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Mainpuri Sand Quarry in an area of 1.80 ha. (16200 cum per year) (Khasra No. 165 Govt.), Village-Mainpuri, Tehsil-Bichiya, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	165 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	1.80 Ha
स्थल	Village Mainpuri, Tehsil Bichiya, District Mandla, Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, खदान के बीच में से नदी का बहाव हो	

का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	रहा है । भाग पानी डूबा होने के कारण 0.54 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1. 08 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–16,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–16,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 16,200 घनमीटर/वर्ष रेत का पुनरभराव होगा।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 542 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 542 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 542 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोलमगहन जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 20/12/2017 को अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–16,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16,200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के संशोधित कोर्डिनेटस प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–16,200 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.70 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 05.18 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत मैनपुरी में प्रत्येक छहः माह में स्वास्थय संबंधी शिवर का आयोजन किया जावेगा जिसमे ग्राम पंचायत मैनपुरी के ग्रामवासियों का रक्तचाप,मलेरिया एवं शुगर जेसी बीमारियों की जांच की जाएगी ।	30,000-/
योग	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2160 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	1200
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम–मैनपुरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	160
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।		
	कुल	2160

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

6. <u>Case No 10032/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Gareya Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (18000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Gareya, Tehsil-Ghughri, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.
स्थल	Village Gareya, Tehsil Ghughri, District Mandla, Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, जिसका अल्प भाग जलमग्न है । पानी डूबा होने के कारण 0.50 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.20 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – रेत–18,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा रेत–18,000 घनमीटर/वर्ष रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 196 दिनांक 02/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा कितना है, उल्लेख नहीं है, उक्त खदान का रकबा कितना है, संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना उचित होगा।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 196 दिनांक 02/02/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र	

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

अनापत्ति	क्रमांक 196 दिनांक 02/02/21 अनुसार जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गरैया जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 03/02/18 को अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् का प्रस्ताव पारित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–06 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–18,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के एक संशोधित कोर्डिनेट प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–5000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.35 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.75 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम गरैया के शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए रैन कोर्ट, बस्ते एवं पाठ सामग्री का वितरण किया जावेगा ।	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	1500

		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम–गरैया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	100
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		कुल	**2400**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

7. <u>Case No 10033/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Podimal Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Podimal, Tehsil-Ghughri, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.00 ha.
स्थल	Village Podimal, Tehsil Ghughri, District Mandla, Madhya Pradesh.	

श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग से नदी की जल धारा निकल रही है । भाग पानी डूबा होने के कारण 0.90 हे क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.80 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 54,000 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 662 दिनांक 24/05/18 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 662 दिनांक 24/05/18 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 662 दिनांक 24/05/18 अनुसार 500 मीटर की दूरी तक मानव बसाहट है तथा शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पोंडीमल जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/08/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–3 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–54,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 54,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के अतिरिक्त कोर्डिनेटस प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–54,000 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.52 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 06.63 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी. एस. आर. मद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौडीमाल (ग्राम पौडीमाल) में स्वास्थ्य संबंधी उपकरणो के लिए चिकित्सा कल्याण समिति पौडीमाल के खाते में 60,000/– रुपये की राशि ट्रांसफर की जावेगी ।	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	2300
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	350
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम– पौडीमाल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	600
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	150
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।		
	कुल	3600

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

8. <u>Case No 10034/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal Prior Environment Clearance for Karegaon Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 62), Village-Karegaon, Tehsil-Ghughri, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	62 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 Ha.
स्थल	Village Karegaon, Tehsil Ghughri, District Mandla, Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, खदान के उत्तर–पूर्व भाग से नदी की पतली धारा निकल रही है । खदन का भाग पानी डूबा होने के कारण 1.10 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.40 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 48,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 138 दिनांक 23/01/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 138 दिनांक 23/01/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 138 दिनांक 23/01/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण पक्का रास्ता/ नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत करेगॉव जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–17 दिनांक 03/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–8 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–48,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 48,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के अतिरिक्त कोर्डिनेटस प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–48,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.15 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 06.71 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम करेगॉव के प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए 01 कंप्युटर और 01 प्रिंटर का वितरण किया जायेगा ।	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	1000
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	800
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	400
2	ग्राम– करेगॉव के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2300
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	300
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		कुल	**4800**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

9. <u>Case No 10035/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Kisli Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (21600 cum per year) (Khasra No. 486 Govt.), Village-Kisli, Tehsil-Ghughri, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	486 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.
स्थल	Village Kisli, Tehsil Ghugri, District Mandla, Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, जिसका लगभग 60 प्रतिशत पानी डूबा है। होने के कारण 0.60 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.20 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–21,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–21,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 21,600 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 902 दिनांक 02/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 902 दिनांक 02/02/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 902 दिनांक 02/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अनुसार जलीय निकाय/नदी/तालाब/ नहर स्थित है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत किसली जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 25/02/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–18 के सरल क्रमांक–7 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–21,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 21,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के एक संशोधित कोर्डिनेट प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–21,600 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.70 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी. एस. आर. मद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसली (ग्राम किसली) में स्वास्थ्य संबंधी उपकरणो के लिए चिकित्सा कल्याण समिति किसली के खाते में 30,000/– रुपये की राशि ट्रांसफर/जमा की जावेगी ।	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	1500
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम– किसली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग (200 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	100
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।		
	कुल	**2400**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

10. <u>Case No 10041/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Baheri Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (10800 cum per year) (Khasra No. 100 Govt.), Village-Baheri, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	100 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	1.0 ha.
स्थल	Village Baheri, Tehsil Nainpur, District Mandla, Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बंजर नदी में स्थित है, जिसमे रेत का पर्याप्त पुनभरण दिख रहा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 0.30 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 0.60 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 10,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,800 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 464 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 464 दिनांक 28/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है और 250 मीटर अंदर होने से संभागीय आयुक्त समिति, जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 24/08/21 में उक्त खदान हेतु राजस्व क्षेत्र की ओर ही	

	खनन् कार्य करने तथा वन मार्ग से खनिज परिवहन न कर राजस्व क्षेत्र से ही खनिज का परिवहन करने की शर्त पर अनुमति दी गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 464 दिनांक 28/03/23 अनुसार बंजर नदी के अलावा कोई नदी नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 04/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–19 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–10,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार कोर्डिनेटस दिये गये थे जिसको खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 19/7/23 के माध्यम से खदान के तीन अतिरिक्त कोर्डिनेटस प्रस्तुत किये । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला द्वारा समिति को बताया गया कि मई एवं जून के माह में खनन् हेतु रेत वांछित मात्रा में उपलब्ध होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–10,800 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.07 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम के प्राथमिक शाला में बच्चों के बैठने के लिए 05 टेबल और 05 कुर्सियों का वितरण किया जायेगा ।	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के	200

	तट से 1 से 6 पक्तियों में)	बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	200
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, चिरोल, आम एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	ग्राम– बहेरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेलए अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	500
3	परिवहन मार्ग (250 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	200
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		कुल	**1200**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

11. <u>Case No 10042/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bakcheradauna Sand Quarry in an area of 3.70 ha. (44,400 cum per year) (Khasra No. 370 Govt.), Village Bakcheradauna, Tehsil Bichhiya, District Mandla, Madhya Pradesh. (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	370 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.70 ha.,
स्थल	Village Bakcheradauna, Tehsil Bichhiya, District Mandla, Madhya Pradesh.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बंजर नदी में स्थित है, खदान के उत्तर–पूर्वी ओर से नदी की धारा निकल रही है । भाग पानी डूबा होने के कारण 0.90 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.22 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेंप है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–44,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–44,400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 44,400 के रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 460 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 460 दिनांक 28/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है और 250 मीटर अंदर होने से संभागीय आयुक्त की समिति जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 16/06/21 में वन भूमि से खनिज रेत परिवहन नहीं किये जाने की शर्त पर अनुमति दी गई है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 460 दिनांक 28/03/23 अनुसार बंजर नदी के अलावा कोई नदी नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 22/02/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–19 के सरल क्रमांक–13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–44,400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 44,400 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 44,400 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.23 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 07.06 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बकछेरादौना के प्राथमिक शाला में बच्चों के बैठने के लिए 10 टेबल और 10 कुर्सियों का वितरण किया जायेगा ।	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4440 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क,	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (1.0 से 1.5 फीट के अन्तराल पर)	800
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (4 फीट के अन्तराल पर)	500
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन,एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	400
2	ग्राम– बकछेरादौना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2660
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1.5 मीटर ऊँचाई व ट्री गार्ड के साथ)	80
• वृक्षारोपण कार्य स्व सहायता समूह/पंजीकृत स्थाई स्वयंसेवी संस्था/स्थानीय वन समिति/परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत् सिंचाई, पाँच वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव) संपादित करेंगे । • जगह की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस–पास की जगह में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा ।			
		कुल	4440

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>Case No 9855/2023 Shri Jaswant Rathore, Owner, R/o Sadar Bazar Bangal No. 1, Sadar Bazar Cantt, Tehsil & District Sagar (MP) Prior Environment Clearance for</u>

Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (24605 Cum Per Year) (Khasra No. 40) Village-Jasoda, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP)

This is case of Stone and M.Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 643वीं बैठक दिनांक 05/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें स्वाईल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 22/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 20/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री एस. जे. रहमान ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत की गई है परन्तु पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत नही की गई है, अतः खदान क्षेत्र की स्वाईल अनुसार पौधारोपण स्कीम प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

13. **Case No 9150/2022 Smt. Sumitra Grover Owner, Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 483501 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.61 ha. (54405 cum per annum) (Khasra No. 135/1, 135/2, 135/3, 136), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP,**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 135/1, 135/2, 135/3, 136), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 1.61 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे निम्न बिंदुओ पर जानकारी प्रस्तुत करे :–

- प्रस्तावित खदान के बैरियर जोन में 05 से 06 स्थानो में स्वाईल प्रोफाईल का फोटोग्राफ सहित विवरण तदानुसार वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करे।
- जन सुनवाई के दौरान आमजनों द्वारा उठाये गये कुछ बिंदुओं को ई.एम.पी./सीईआर में सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः सभी बिंदुओं को ई.एम.पी./सीईआर में शामिल करते हुए बजट सहित प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 22/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 20/07/23 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत

प्रतिनिधि श्री नीरज कुमार अवस्थी और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

इस खदान की जनसुनवाई के दौरान उठाए गये प्रमुख मुद्दों के अनुसार ब्लास्टिंग होने से मकान क्षतिग्रस्त हो रहे है, खेती की जमीन खराब हो रही है, रोड़ खराब हो रही है, ब्लास्टिंग से कच्चे घरो की दीवारे फट जाती है। इसी प्रकार पुरानी खदानो को भरा नही जा रहा है, 40 टन क्षमता वाली रोड़ बनाई जाये वर्तमान में रोड़ 08 से 08 टन क्षमता वाली है, गिट्टी का परिवहन त्रिपाल से ढक कर किया जावे, केशर से धूल उडने से फसल बरबाद हो रही है । इत्यादि सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी इस संबंध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया । उनके द्वारा ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट को शामिल किया गया है। खनिज परिवहन के दौरान धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–54,405 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.29 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
प्राथमिक शाला बड़ागाँव में 5 बेंच व कुर्सियों 10की व्यवस्था	25,000
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
योग	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1610 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	खमेर, सिरस (काला व सफेद), चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, आम, खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200

3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, सिरस (काला व सफेद), चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	360
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत बड़ागाँव)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बड़ागाँव के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200
6	ग्राम पंचायत बड़ागाँव के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (पूर्ण सुरक्षा सहित)	300
		कुल	1610

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 8492/2021 M/s. Dargawan Quartza Mine, Mine Owner, Shri Brijesh Soni, Near Chhoti Devi Temple, Dist. Tikamgarh, MP Prior Environment Clearance for Expansion of Quartza Quarry in an area of 12.00 ha. (15000 TPA to 300000 TPA) per annum) (Khasra No. 993/2), Village - Dargawan, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP)</u>

प्रकरण समिति की 650वीं बैठक दिनांक 08/06/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिंदुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थेः–

1. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ईसी का पालन प्रतिवेदन के अनुसार लगाये गये पौधो का विवरण/मेपिग वर्षवार कितने–कितने पौधे कहां–कहां लगाये है इसका विवरण प्रस्तुत करे साथ ही इनकी ड्रोन व्हीडियोग्राफी गारलेंड ड्रेन, भू–जल संरक्षण के कार्य, चेकडेम, गलीप्लग को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करे।
2. सी.एस.आर. योजना के अंतगर्त की गई गतिविधियों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें ।
3. जनसुनवाई के दौरान उठाए गये बिंदु जैसे खदानों से पत्थर गिरते है के संबंध में रिटेनिंग वॉल एवं कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग एवं आवश्यक सेटवेक का प्रस्ताव देवे एवं इनको ई.एम.पी. योजना में शामिल करते हुए प्रस्तुत करे ।
4. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ईसी का पालन प्रतिवेदन के अनुसार जो शर्ते अंशिक रूप से पूर्ण की गई है /अधूरी है उनके विषय में कार्य योजना प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 23/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 20/07/23 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजेश सोनी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :–

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ईसी का पालन प्रतिवेदन के अनुसार लगाये गये पौधो का विवरण/मेपिग वर्षवार कितने–कितने पौधे कहां–कहां लगाये हैइसका विवरण प्रस्तुत करे साथ ही इनकी ड्रोन व्हीडियोग्राफी गारलंड ड्रेन, भू–जल संरक्षण के कार्य, चेकडेम, गलीप्लग को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि –वर्तमान में हमारे द्वारा 10,000 पेड़ लगाये गये है। जिसकी जानकारी डी. एस. आर. बनने के समय खनिज विभाग को दी गई थी, जिसकी ड्रोन व्हीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।
- सी.एस.आर. योजना के अंतगर्त हमारे द्वारा सी.एस.आर. योजना के अंतगर्त रोड एवं पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत के माध्यम से किया गया है।
- जनसुनवाई के दौरान उठाए गये बिंदु जैसे खदानों से पत्थर गिरते है के संबंध में रिटेनिंग वॉल एवं कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग एवं आवश्यक सेटवेक का प्रस्ताव के संबंध में हमारे द्वारा कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग किया जाता है। एवं लीज से बस्ती के तरफ 50 मीटर का setback प्रस्तावित किया गया है। जो Non mining zone के रूप में छोड़ा जायेगा। तथा उसमें वृक्षारोपण किया जायेगा। एवं लीज से बस्ती के तरफ रिटेनिंग वॉल का निर्माण जल्द करा ली जायेगी। इसके लिए Revised ई.एम.पी प्रस्तुत की गई है ।
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ईसी का पालन प्रतिवेदन के विषय में Action Plan प्रस्तुत किया गया।

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया की पूर्व में परियोजना प्रस्तावक प्राप्त की गई पर्यावरण स्वीकृति 15000 MTPA की प्राप्त की गई थी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो मे उल्लेख था कि परियोजना प्रस्तावक को पिट–बार उत्पादन किया जाना था। परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा गया की हम लगातार होरिजेंटल खनन कार्य करेंगे पिट का कोई अनुक्रम नहीं है। अतः यह स्पष्ट किया जाना होगा की यह होरिजेंटल खनन करेंगे की पिटवार अतः इन बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के लिये परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये।

1. खदान क्षेत्र में वर्तमान स्थिति तक खोदे गये गड्ढ़ों की जानकारी एवं उनका क्षेत्रफल ।
2. खदान क्षेत्र में पिट–बार उत्पादन क्षमता ।
3. 2012 में प्राप्त की गई पर्यावरण स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य वर्षवार उत्पादन क्षमता तथा किया गया उत्पादन ।
4. सरफेस मेंप पर उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 – 3 तक दर्शाये जावे ।
5. पिट –ए का उत्पादन कब पूर्ण होगा उसका विवरण ।
6. खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराते हुए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के अंतगर्त खदान में कुल कितने पिट खोदे जायेगे उनका सरफेस मेप पर प्रस्तुत करे।
7. खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराते हुए खदान क्षेत्र का कुल खनन् योग्य क्षेत्र को सरफेस मेप पर दर्शाते हुए प्रस्तुत करे ।
8. खनन् योजना के अनुसार केवल पिट –ए में ही खनन् कार्य किया जावेगा इस तथ्य का परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन पत्र ।

15. <u>Case No 8920/2022 Badagaon Stone Quarry Prop. Shri Trilok Grover, Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.85 ha. (75544 Cum per annum) (Khasra No. 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/6, 210/7, 219/1, 219/2, 219/3, 218), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP)</u>

प्रकरण समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें खदान मे भू–प्रवेश के पूर्व जिलाध्यक्ष के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि भू–स्वामी का हित किस प्रकार सुनिश्चित होगा एवं उत्खनिपट्टा क्षेत्र के उत्तर–पूर्व में नजदीकी वन कक्ष क्रमांक 477 की दूरी लगभग 210 मीटर है, अतः ई.एम.पी. योजना मे चेनलिंग फेंसिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 22/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 20/07/23 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री त्रिलोक ग्रोवर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया की आवंटित खदान में 11 खसरों में आ रही है एवं इस सभी 11 खसरों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु इस संबंध में समिति को स्पष्ट नही हो रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि भू–राजस्व संहिता के प्रावधानो में भू–स्वामित्व के अनुबंध के संबंध में स्पष्ट करे कि आर्थिक हित एवं निर्धारित प्राक्रिया अपनाई गई है एवं दिये गये उद्देश्यो का पालन हुआ है या नही इसकी पुष्टि खनिज अधिकारी से कराकर प्रस्तुत करे एवं आवंटित खनन् क्षेत्र का पटवारी से तीन वर्ष की फसल उत्पादन का रिकार्ड भी प्रस्तुत करे।

16. <u>Case No 9794/2023 Shri Relam, R/o Village-Sevariya, Post-Kanwada, Tehsil-Jobat, District-Alirajpur (MP)-457990, Prior Environment Clearance for Chak Ubrasi Stone & M-Sand Mine in an area of 4.250 ha. (Stone – 1,85,000 Cum/Year and M-Sand – 15,000 Cum/Year) (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)</u>

प्रकरण समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि 10 सेंपल प्लाट की जानकारी एवं अन्य विवरण समिति के निर्देश के अनुरूप प्रस्तुत नही किया अतः निम्न जानकारी पुनः प्रस्तुत करें:–

- 10 सेंपल प्लाट की जानकारी एवं अन्य विवरण के प्रस्तावित खदान क्षेत्र की पौधो की संख्या उनकी ऊचाई एवं मोटाई एंव प्रजाति (ट्री इंवेट्री) भी प्रस्तुत करे ।
- मइनिंग एंव नॉन माइनिंग क्षेत्र को दर्शाते हुये पुनरिक्षित सर्फेस प्लान प्रस्तुत करे ।
- खदान के अंदर सघन करधई वृक्ष क्षेत्र को नॉन माइनिंग क्षेत्र मे दर्शाते हुये पौधारोपण योजना प्रस्तुत करें।

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 27/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 20/07/23 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत उत्तर निम्नानुसार है :–

- Avg. density of Kardhai saplings/coppies=2400/ha. in the highly dense area and 600/ha. in the poorly dense area. However avg. density of mine lease area was recorded to be 1500 Kardhai saplings/coppies per hectare.
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के अंदर सघन करधई वृक्ष क्षेत्र स्थित है वह क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जावेगा जिसका क्षेत्रफल 1.85 हे. अतः खनन् हेतु 2.40 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन पत्र दिया गया कि एम.सेंड प्लांट खदान क्षेत्र के बाहर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,85,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम. सेड – 15,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2- **खदान के अंदर सघन करधई वृक्ष क्षेत्र स्थित है वह क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जावेगा जिसका क्षेत्रफल 1.85 हे. अतः खनन् हेतु 2.40 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा ।**
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 08.68 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चक उबरासी के शासकीय प्राथमिक शाला में १ कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेबल, के साथ और १ आलमारी लाइब्रेरी के लिये।	60,000/–

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय	200

	ऊँचाई 1.5 मीटर)	प्रजातियॉ,	
3	चक उबरासी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम, रुद्राक्ष,सीताअशोक, अमरूद, इत्यादि	3,850
4	शासकीय विद्यालय चक उबरासी में	कदंब, अमलतास, पुत्रंजीवा, अशोक, नीम, मोलश्री, गुलमोहर (पूर्ण सुरक्षा सहित)	50
		कुल	**5100**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

17. <u>Case No 9934/2023 Shri Neeraj Pratap Singh, Onwer, R/o Jaswantpura (Tamgarh), Tehsil-Gunnor, District-Panna (MP)-488001, Prior Environment Clearance for Atarhai Flagstone & M-Sand Quarry in an area of 1.80 ha. (M-Sand-12000, Flagstone-2700 cum per annum) (Khasra No. 3838), Village-Atarhai, Tehsil-Shahnagar, District-Panna (MP)</u>

प्रकरण समिति की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें एम.सेंड बनाने का प्रोसेस एवं स्लरी मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करने के पश्चात् आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 29/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 20/07/23 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक नीरज प्रताप सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन–2700 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेंड–12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.03 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला अतरहाई में 10 बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	**15,000**
ग्राम अतरहाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह से	**25,000**

आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	
योग	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज,जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड सहित)	200
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, अगेव एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	282
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत अतरहाई)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	518
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत अतरहाई के चिन्हित क्षेत्र में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
6	ग्राम पंचायत अतरहाई के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
		कुल	1800

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

18. <u>Case No 10036/2023 M/s Jai Mahaveer Minerals, Shri Hrishikesh Satpati, Partner, Plot No. 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, Indora, District-Nagpur (MH)-441106, Prior Environment Clearance for Biraha Laterite Mine Quarry in an area of 3.20 ha. (10004 MTPA) (Khasra No. 1/1 Govt.), Village-Bihara, Tehsil-Kotar, District-Satna (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक ऋषिकेश सतपति एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 20/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	M/S. JAY MAHAVIR MINERALS, Plot No 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, Indora, Nagpur (M.H.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.2 Ha.
स्थल	ग्राम Bihara तसहील Kotar जिला Satna (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 12954 दिनांक 23/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 Laterite Mine Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	चूँकि प्रकरण लेटराइट होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराईट–10,004 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार लेटराईट–10,004 टीपीए हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 720 दिनांक 10/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 52.189 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 720 दिनांक 10/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 720 दिनांक 10/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिरहा क्रमांक–1 जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4(2) दिनांक 18/02/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर से एक कच्चा रोड़ दक्षिण दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है ।
	दक्षिण दिशा– विखरी हुई आबादी 279 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना ने पत्र क्रमांक 1104 दिनांक 09/06/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान के अंदर से एक कच्चा रोड़ दक्षिण दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है तथा दक्षिण दिशा– विखरी हुई आबादी 279 मीटर अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान का सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लॉन ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. <u>Case No 10037/2023 Shri Harish Malviya, Project Proponent, 206, Ganga Apartment, E-1/2 Lala Lajpat Rai Society, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Hinoti Sadak Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (30,400 cum per year) (Khasra No. 835/1, 835/2 Private), Village-Hinoti Sadak, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक हरीश मालवीय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा दिनांक 20/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri HARISH MALVIYA, Project Proponent, 206, Ganga Apartment, E-1/2 Lala Lajpat Rai Society, Bhopal (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	835/1 & 835/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट भूमि) परियोजना प्रस्तावक स्वयं ही भू–स्वामी है ।	1.80 Ha.
स्थल	Village- Hinoti Sadak Tehsil- Berasia, District- Bhopal (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2985 दिनांक 16/01/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Stone Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 28/09/2017 के द्वारा पत्थर–30,400 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–30,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–30,400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 09.59 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 12/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

	पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
त्हसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हिनौती सड़क जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 12 दिनांक 02/10/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र त्रिभुजाकार आकार में है एवं खुदा हुआ है ।
	दक्षिण पश्चिम दिशा– पक्का रोड़ 09 मीटर
	पूर्व दिशा– कच्चा रोड़ 88 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा– पक्का रोड़ 09 मीटर पर है तथा पूर्व दिशा– कच्चा रोड़ 88 मीटर अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. आवंटित खनन् क्षेत्र का पटवारी से तीन वर्ष की फसल उत्पादन का रिकार्ड ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No 10038/2023 Shri Harikesh Satpati, Partner, M/s Jay Mahavir Minerals, Plot No. 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, District-Indore (MP)-441106, Prior Environment Clearance for Nimha Laterite Deposit in an area of 4.79 ha. (9998 cum per year) (Khasra No. 846 Govt.), Village Nimha, Tehsil Kotar, District Satna, Madhya Pradesh. (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/07/23 को परियोजना प्रस्तावक हरिकेश सतपति एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	M/S. JAY MAHAVIR MINERALS, Plot No 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, Indora, Nagpur, M.H.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	846 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.79 Ha.
स्थल	Village Nimha, Tehsil Kotar, District Satna, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2818 दिनांक 09/11/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Laterite Deposit	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराईट–9,998 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार लेटराईट–9,998 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक	

में अन्य खदानें	722 दिनांक 10/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 105.725 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 722 दिनांक 10/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
त्हसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 722 दिनांक 10/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पटनाखुर्द जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 20/06/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में लगे हुए वृक्षों के संबंध में वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाये।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा– कच्चा रोड 26 मीटर एवं कुछ कच्चे घर है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना ने पत्र क्रमांक 1103 दिनांक 09/06/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा– कच्चा रोड 26 मीटर एवं कुछ कच्चे घर है अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. <u>Case No. 10102/2023 Executive Engineer, Narmada Development Division No. 19, Jhirniya Road, Bhikangaon, District-Khargone (MP)-451331, Prior Environment Clearance for Khalwa Lift Micro Irrigation Scheme Phase-II [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 7910 ha. CCA at Near Village-Nandangaon Khurd, Tehsil-Khalwa, District-Khandwa (MP). 1(c).</u>

The project has a command area of 7910 ha. therefore as per EIA notification of September 2006 and subsequent amendment dated 14th August 2018, it is a Category B2 project (Medium irrigation project having CCA > 2000 ha and < 10000 ha)" and hence shall be appraised by SEIAA/SEAC, Madhya Pradesh.

This is a case of Prior Environment Clearance for Khalwa Lift Micro Irrigation Scheme Phase-II in an area of 7910 ha. CCA at Near Village-Nandangaon Khurd, Tehsil-Khalwa, District-Khandwa (MP) . in an area of 7910 ha. CCA at Near Village-Nandangaon Khurd, Tehsil-Khalwa, District-Khandwa (MP). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The case was presented by the Shri Aditya Athavale Env. Consultant from M/s. MITCON Envirotech Ltd., Pune along with PP Shri R.S. Gupta Executive Engineer, Narmada Development Division No.19, Bhikangaon wherein PP presented that the main objective of Khalwa Lift Micro Irrigation Project Phase-II

is to provide irrigation facilities to the water-short areas in upper reaches of Narmada basin where the level of irrigation is very less as compared to available culturable area and to the national percentage of irrigation.

The Salient features of the project:

- The Khalwa Lift Micro Irrigation Project Phase-II is conceived to cater irrigation water to 7910 ha. in 17 villages of Khalwa Tehsil of Khandwa District.
- The B.C. Ratio of the scheme is 2.49 the scheme mainly comprises of construction of pump house at two various stages and laying of rising main & piped canal disnet system to provide irrigation to 7910 Hectare command area in 17 villages of Tehsil Khalwa of Khandwa District.
- The Scheme area lies in Khandwa District. The supply source i.e. ISP Reservoir Near Nandagaon Khurd village of Khandwa District and command area lies in Khalwa tehsil of Khandwa East Nimar district. Cost of Scheme (Unit I + Unit II): Rs. 201.55 Cr.
- The total Required 2.534 cumecs of water will be lifted from Submergence of Indira Sagar Reservoir from a Level of 247m to highest level of 395 m with a static head of 148 m in two stages. Intake from PS-1 to PS-2 about 1400 mm diameter M.S. pipe will be required then water will be lifted from PS-2 to highest command level of RL 395 m with a 800 mm diameter M.S. pipe. The total power required for lifting 2.534 cumecs of water will be 4.53 MW.
- Main piped canal of length 35.85 km .
- Application for the Forest Clearance for diversion of i.e. approx. 0.94 ha. Area from Khandwa Forest Division (East Kalibhit Sub division) is in process.
- The Command Area Covered under Main Canal is 7910 ha. has been conducted and accordingly the alignment of distributaries has been marked on the toposheet. The Tehsil wise details of command area under Distributaries are tabulated below:

Name of Tehsil	Gross command area (GCA)	Net culturable Command area (CCA
Khalwa	10075.372	7910

- **Salient Features and Information of Components**

SI	Name of the scheme	Khalwa Lift Micro Irrigation Scheme Phase-II
1	Type of scheme: (Irrigation or Multipurpose)	Lift Irrigation Scheme
2	Location of head works (lifting Point)	Village Nandagaon Khurd, Tehsil Harsood, District Khandwa, Madhya Pradesh
i)	Supply source	ISP Reservoir
ii)	Lifting Point of Rising Main (RM)	ISP Reservoir near village Nandagaon Khurd (Latitude: 76º38'20“ / Longitude: 21º59'44“)

iii)	Lifting Level	247 m
iv)	Command Area	Tehsil Khalwa, Distt. Khandwa, Madhya Pradesh
v)	Pump House	2 nos.
3	Access to the Scheme:	
a)	Nearest Airport	Devi Ahilyabai Holkar Airport Indore (M.P.) - 179 Km by road from lifting point in Nandgaon Kh. village
b)	Nearest Railway Station	Khandwa Railway Station – around 52 Km by road from lifting point in Nandgaon Kh. village
4	Interstate aspects of the Scheme:	
(a)	Catchment area to the basin	N.A.
(b)	State-wise/Country-wise details of catchment area	N.A.
(c)	Submergence due to scheme	N.A
(d)	Water allocation for the state (if any)	18.25 m.a.f. (Million Acre Feet)
(e)	Water allocation for other state	-
(f)	Yearly Committed utilization i) For Irrigation ii) For Drinking Use & Industrial purpose	26.28 MCM (Million Cubic Meters) -
5	Estimated life of the Scheme (years)	50 Years
6	Irrigation (ha) Details:	
(a)	Gross command area (GCA)	10075 ha
(b)	Culturable Command Area (CCA)	7910 ha
(c)	Rabi crop area	7910 ha
(d)	Cost per hectare of gross area Irrigated	2.55 lakhs/ha
7	Scheme Performance:	
(a)	Irrigation	Micro - Lift
(b)	Proposed Cropping pattern	Wheat Max – 13.33 % , Wheat local – 30%, Gram – 21.6%, Vegetables – 26.33%, Others – 8.66%
(c)	Yearly Water utilization in MCM (MAF)	26.28 MCM (0.0213 MAF)
(d)	Duty proposed in lps/ha	0.3204 lps/ha
(e)	Discharge	2.534 cumecs (Irrigation - 2.534 cumecs)
8	Proposed Power Consumption & Source	4.53 MW from MPPKVVCL.
9	Canal System:	
(a)	Purpose of Canal / No. of villages Benefitted	Piped canal for irrigation in 17 villages
(b.i)	Rising Main	M.S. Pipe – RM-1: 1400 mm & RM-2: 800 mm dia.
(b.ii)	Type MS / DI Dia.	M.S. Pipe – 1400 to 800 mm Dia.
(c.i)	Distribution System up to 20 Ha Chak	M.S. / H.D.P.E.
(c.ii)	Type MS / ID / HDPE Dia.	M.S. Pipe – 800 to 300 mm Dia. and HDPE – 280 to 90 mm Dia.
(d.i)	Distribution System from 20 Ha Chak to 0 2.5 Ha Chak	HDPE – 63 mm Dia.
(d. ii)	Type DI / HDPE Dia.	HDPE – PN 10 to PN 6

10	Total Project Cost	201.55 Cr.
11	B.C. Ratio	2.49

Details of Land Required

Nature of Land	Requirement in (Ha)
Non-Forest Land (Private Land)	2.0
Forest Land	0.94 ha. (approx.)
Total	**2.94 Ha**

Environmental Setting

SI	Particulars	Description
1	Survey of India (SoI) TopoSheet No.	55B/8, 55B/12, 55/C5 & 55C/9
2	River Basin	Narmada Basin
5	Nearest Water body	Indira Sagar Dam - 8 km from command area boundary
6	Seismic Zone	Zone-III (Moderate Seismic)
7	**Ecological sensitive area / Reserve Biosphere / Reserve Forest**	**Yes, patches of Reserved Forest are observed in the study area within 10 km radius. No National Park / Wildlife Sanctuary / Protected area is found within 10 km radius of Project).** However, Project requires Clearance under Forest (Protection) Act, 1980 as around 1.44 km (and 6.5m width) of the Rising Main passes through Reserve Forest area. **Application for the Forest Clearance for diversion of i.e. approx. 0.94 ha. Area from Khandwa Forest Division (East Kalibhit Sub division) is in process.**
8	Details of Land Required	
9	Any Religious / Historical Place	Not within 10 km radius
10	Any Archaeological monuments	Not within 10 km radius
11	**Rehabilitation and Resettlement (R&R) involved?** :	No

Committee instructed to the Project Proponent as this project involved 2.0 ha. Private land hence, consent of all inhabitants shall be obtained before commencement of construction work and if the resident comprises any tribal population then considered and provide suitable their economic benefits as per the central and state prevailing Act/ Rule.

The submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Khalwa Lift Micro Irrigation Scheme Phase-II [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 7910 ha. CCA at Near Village-Nandangaon Khurd, Tehsil-Khalwa, District-Khandwa (MP). 1(c).** River Valley and Hydroelectric Projects with following conditions:

I. Statutory compliance:

i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project
ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (incase of the presence of schedule-I species in the study area)
iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC.
vi. Necessary approval of CEA shall be obtained for those projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore.
vii. If any public property (Burial Ground, Grave yard, Chabutra, Paramparik Narmada Parikrama Path) comes under the submergence, Restoration work/Alternate site will be provided by NVDA in consultation with local community or Gram Panchayat.
viii. The project involved 2.0 ha. Private land hence, consent of all inhabitants shall be obtained before commencement of construction work and if the resident comprises any tribal population then considered and provide suitable their economic benefits as per the central and state prevailing Act/ Rule.

II. Air quality monitoring and preservation

i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality, Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA / Monitoring purposes.
ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.
iii. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

III. Water quality monitoring and preservation

i. Conjunctive use of surface water to be planned in the project to check water logging as well as to increase crops productivity. The field drains shall be connected with natural drainage system.
ii. Remodeling of existing natural drains (link drains) and connecting them with irrigated land through constructed field drains, collector drains, etc. are to be ensured on priority basis.
iii. Before impounding of the water, Cofferdams for both at the upstream and downstream are to be decommissioned as per EIA/EMP report so that once the project is commissioned; cofferdam should not create any adverse impact on water environment including the rock mass and muck used for the

Cofferdam.

iv. As the reservoir will be acting as balancing reservoir and there would be fluctuation of water level during peaking period, efforts be made to reduce impact on aquatic life including impacts during spawning period both at the upstream and downstream of the project.

v. Water depth sensors shall be installed at suitable locations to monitor e-flow. Hourly data to be collected and converted to discharge data. The Gauge and Discharge data in the form of Excel Sheet be submitted to the Regional Office, MoEF&CC and to the CWC on weekly basis

vi. Mixed irrigation shall be practiced and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.

vii. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land leveling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report.

IV. Noise monitoring and prevention

i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

V. Waste management

i. Muck disposal (1,89,149lakh cum) be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.

- Of this, around 1,89,149 m^3 is proposed to be managed by following practices:
- top soil will be preserved and same shall be used for plantation
- Excavated murum and hard rock shall be used for backfilling and remaining quantity will be used for road and levelling.
- The remaining 33,149 m3 will be returned back to respective farmers as required .

ii. earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.

iii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VI. Green Belt, EMP Cost, Fisheries and Wildlife Management

i. Plantation Scheme details (area and species and nos. in table shall be discussed here)

SN	Location	Species	No. of Plants
1	Distribution of Saplings to farmers in Command Area (Farmers affected will be given double saplings)	Phyllanthus emblica L (Amla) Mangifera indica L(Aam) Tamarindus indica L. (Chinch) Carissa congesta Wight(Karwand) Psidium guajava L.(Peru) Manilkara zapota (L.)(Chiku) Citrus limon (L.)(Limbu) Carica papaya L(Papaya)	10000
2	Pump House, along Raising Main, And Other Project Structures;		6000
3	Approach roads		2000

- Total 10000 local indigenous fruit bearing saplings will be distributed to the following benefited villages. Farmers affected will be given double saplings Village wise distribution of tress are as below.

Sr. No.	Benefited Village	Census Population2011	No. of HH	Number of Trees to be distributed based on HH
1	Chainpur	949	197	441
2	Dagkot	1524	291	651
3	Fefari	682	134	300
4	Fafari Sarkar	1329	269	602
5	JhirinyaRyt	1456	269	602
6	JamuniyaAshapur	1743	370	828
7	Khokariya	1967	363	812
8	MendhapaniRyt	1496	284	636
9	Matapur	1308	248	555
10	Padlya Mal	2187	409	915
11	Jamanapur Mal	717	118	264
12	Udiyapur Mal	1165	190	425
13	UdiyapurRyt	1084	185	414
14	Dabhiya	2250	429	960
15	Hasanpura	1461	245	548
16	Tighariya	1743	344	770
17	Jamoda Mal	681	123	275
		23742	4468	10000

VII. Human health issues

i. If any Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.

ii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.

iii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.

vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.

vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of the dam failure and shall be implemented as per the Dam Break Analysis.

VIII. EMP & Corporate Environment Responsibility

i. A budgetary provision of capital - **Rs. 288.38 lakhs and Recurring Rs. 121.5** lakhs in EMP for this project.

ii. For this project PP has proposed **Rs 50.387 Lakh**s as CER . The details are as given below:

Sr. No.	**CER activities proposed**	**Year 1 (Amt. in Lakhs)**	**Year 2 (Amt. in Lakhs)**	**Year 3 (Amt. in Lakhs)**	**Total (Amt. in Lakhs)**
1	Solar Panel in school,	4	4	4	**12**
2	Awarness camps for Oral Hygine, Diabetes and Blood pressure	2	2	4	**8**
3	Vaccination, cattle health Check up etc.	4	2	2	**8**
4	Proposal for solar cooker /LPG gas cylinder under "Ujwala Yojana" to them who are residing in the nearby villages	2	2	2	**6**
	Funds reserved for Van Gram Development				**16.38750**
TOTAL					**50.38750**

- Under CER Activity for the project; Complete Development Activities in 3 Van Gram (Forest Village) in the vicinity of command will be taken up in consultation with DFO Khandwa.
- Proposed Health Services to be extended in Existing Health Centers/ Clinics: Dabhiya, Chainpur ,Padlya Mal,Madani and with camps in command vilages
- Schools to be included in CER Activities :- Govt. HS Jamanya Sarsari, Govt. HSS Udiyapur Ryt, Govt. HSS Padlya Mal, Govt. HS Fefri Sarkar, Govt. HSS Jamni Gujar.

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the

environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year-wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Post EIA and SIA be prepared for the project through a third party and evaluation report be submitted to the Ministry after five years of commissioning of the project.

vi. Multi Disciplinary Committee (MDC) be constituted with experts from Ecology, Forestry, Wildlife, Sociology, Soil Conservation, Fisheries, NGO, etc. to oversee implementation of various environmental safeguards proposed in EIA/EMP report during construction of the project. The monitoring report of the Committee shall be uploaded in the website of the Company.

vii. Formation of Water User Association/Co-operative be made by involvement of the whole community be ensured for discipline use of available water for irrigation purposes.

IX. Miscellaneous

i. The project proponent shall make public, the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

iv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

v. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company

vi. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

vii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

viii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

ix. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

x. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
xi. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
xii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions
xiii. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
xiv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

Rcommendation: Recommended for Prior Environment Clearance under the above conditions.

22. Case No 9302/2022 M/s Micro Minerals, R/o Gokul Dham Colony, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Limestone and Dolomite Mine in an area of 5.470 ha. (Limestone - 24458 Tonne per annum, Dolomite - 5984 Tonne per annum) (Khasra No. 66, 67, 68, 69) Village - Baragaon, Tehsil - Barwara, Dist. Katni, (MP)

प्रकरण समिति की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें आवेदित क्षेत्र के वायु गुणवत्ता के परिणाम (पी.एम. 2.5 माईक्रोन) आस–पास की गतिविधि को देखते हुए अधिक प्रतीत हो रही है अतः परियोजना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क के भुगतान के आधार पर वायु गुणवत्ता को डाटा पुनः प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/07/23. के द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 20/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन–24,458 टीपीए एवं डोलोमाइट–5984 टीपीए।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.05 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 07.64 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 03.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम बड़ागांव में तालाब के निर्माण मे आर्थिक सहयोग	80,000/-
गाँव बड़ागांव में एक सोलर लाइट लगाई जाएगी	30,-/000
गाँव बड़ागांव के ग्रामवाशियों के लिए साल में दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जायेगा	20,000/-
ग्राम बड़ागांव मे 01 हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की वयवस्था की जाएगी।	40,000/-
प्राथमिक स्कूल में ५० बच्चो के लिए बैग का वितरण किया जायेगा	20,-/000
गांव के सड़क निर्माण के लिए आर्थिक मदद	50,000/-
ग्राम पंचायत के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए आर्थिक मदद	60,000/-
योग	3,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6770 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि (ट्री गार्ड सहित)।	160
3	बड़ागांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा गुलमोहर, मोलश्री इत्यादि (पूर्ण सुरक्षा सहित)।	20
4	गाँव बड़ागांव, भटगवां सुनहरा, मैनहारा ,टेढ़ी,	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	3,590

	बिछपुरा, में वितरण		
		कुल	6770

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.

10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.

38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

661वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 20 जुलाई 2023